महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती

विज्ञान निर्भयता नीती

कार्यालय : 'भास्कर', 68, कालीकादेवी नगर, संघमा चौक, गोळीबार टेकडी रस्ता, धुळे – 424 001.

भ्रमण ध्वनी : +91 - 9422790610, 8975130609 Email : avinashpatilmans@gmail.com, avinashpatilmans2025@gmail.com

दिनांक: 4 अगस्त 2021

प्रेस विज्ञप्ती

जादूटोना और हानिकारक धार्मिक अनुष्ठानों का निषेध और कार्रवाई के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का महत्वपूर्ण योगदान

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (WHRIN) और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, विषय-विशेषज्ञ आदि के छह वर्षों के अथक प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए कारण होने वाले जादूटोना और हानिकारक धार्मिक अनुष्ठानों के आरोप से संबन्धित हानिकारक प्रथाओं का विरोध करनेवाला प्रस्ताव दिनांक 12 जुलाई 2021 को आयोजित 47वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। जादूटोना और हानिकारक धार्मिक प्रथा इस प्रश्न पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम, समर्पण और त्याग के कारण यह प्रस्ताव पारित हुआ है। इस कारण, जादूटोना संबन्धित कारणों से होने वाले अत्याचारों का सामना कर रहे दुनिया भर के अनगिनत लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद निर्माण हुई है। इस प्रकार की प्रथाओं का अध्ययन करने के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषदने श्रीमति इकपोनवोसा इरो (Ikponwosa Ero) की नियुक्ति की थी। उन के साथ विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की सदस्य स्वयंसेवी संस्थाएं, जो विविध देशों में कार्यरत हैं, कई विश्वविद्यालय, विषय-विशेषज्ञ आदि द्वारा विगत छह वर्ष अथक परिश्रम और अनुसंधान कर के संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस में, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से, महाराष्ट्र में पारित जादूटोना विरोधी कानून और उस के अंतर्गत दर्ज अपराध तथा डायन प्रथा से संबन्धित महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के सांख्यिकीय अध्ययन के साथ बनाए गए रिपोर्ट का समावेश किया गया था। विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के निदेशक गैरी फोक्सक्रोफ्ट (Gary Foxcroft), लंकेस्टर यूनिवर्सिटी की डॉ. शार्लोट बेकर (Charlotte Baker) के साथ साथ महाराष्ट्र अंनिस के राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील तथा अंतरराष्ट्रीय समन्वय विभाग के कार्यवाह प्रो. डॉ. सुदेश घोडेराव का इस रिपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पिछले दशक में विश्व के छह महाद्वीपों के 50 देशों में दर्ज बीस हज़ार से अधिक मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाएँ घटित हुई हैं। उन में मुख्य रूप से दुनिया भर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और विशेष रूप से अल्बनिजम पीड़ित व्यक्ति, मिर्गी, औटीजम और पागलपनसे बीमार व्यक्तियों को मार डालना, शरीर के अंग, हाथ, पैर काट देना, धन लूटना, आदि के लिए जादूटोना और हानिकारक धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग किए जाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। बीमारी, मृत्यु के कारण, धार्मिक अनुष्ठानों से प्राप्त लाभ, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक जानकारी की कमी, गरीबी, अन्याय और आम तौर पर सुरक्षा के बारे में अधूरा इंतज़ाम आदि के कारण लोग ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। जादूटोना, अघोरी, जटिल हानिकारक प्रथा आदि जैसी गंभीर स्वरूप की परंपराओं को संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पूरी तरह से रोक तो नहीं सकता। लेकिन, इस प्रकार की हानिकारक प्रथाओं के अभिलक्षण दर्शानेवाली भयावह हिंसा का प्रतिबंध करने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद द्वारा उठाया गया यह कदम महत्वपूर्ण है।

दिनांक 21, 22 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जेनिवा में इसी विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होने हेतु महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। समिती की ओर से राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील का सहभाग भी निश्चित किया गया था। लेकिन विजा से संबन्धित तकनीकी कठिनाई के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं ले सके। फिर भी, इस विषय पर गहन अध्ययन कर के बनाया गया लेख, आयोजकों ने कार्यशाला में प्रस्तुत किया था। इस कार्यशाला

के लिए प्रारम्भिक तैयारी के रूप में बनाए गए रिपोर्ट में भारत के विविध राज्यों में लागू डायन प्रथा विरुद्ध कानूनों का उल्लेख है। साथ ही, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के बलिदान के बाद पारित महाराष्ट्र के जादूटोना विरोधी कानून का भी उल्लेख किया गया है।

ऊपर उल्लिखित कार्यशाला के कुछ समय बाद 'विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स: ग्लोबल लर्निंग अँड कन्वरसेशन्स' इस विषय पर दिनांक 10 और 11 जनवरी 2019 को लंकेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंग्डम में संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिषद में सहभागी होने हेतु महाराष्ट्र अंनिस के अंतरराष्ट्रीय समन्वय विभाग कार्यवाह प्रो. डॉ. सुदेश घोडेराव को निमंत्रण प्राप्त हुआ था। लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण वे इस परिषद में भाग नहीं ले सकें। महाराष्ट्र का जादूटोना विरोधी कानून तथा भारत के डायन प्रथा विरोधी क़ानूनों पर उन के द्वारा तैयार किया गया विश्लेषण/लेख परिषद के आयोजकों को प्रेषित किया गया था।

विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की ओर से दिनांक 10 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद के 25वें सत्र में प्रस्तुत किया गया '2013 ग्लोबल रिपोर्ट' डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के जीवन कार्य के गौरव के रूप में और उन के स्मरण में प्रकाशित किया गया था। इस में भी महाराष्ट्र के जादूटोना विरोधी कानून का विस्तृत उल्लेख किया गया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद के मार्फत इसी विषय पर नियुक्त श्रीमति इकपोनवोसा इरो (Ikponwosa Ero) नें भी 'विशेष नोट और सांख्यिकीय रिपोर्ट मार्च 2020' में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती के सहभाग का उल्लेख किया है।

महाराष्ट्र के जादूटोना विरोधी कानून 2013 के निर्माण का इतिहास, कानूनी दिक्कतें, संसदीय स्तर तक सफर तथा कानून के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, व्याख्या और विशेष रुप से हत्या और नरबली में अंतर, कानून के अंतर्गत दायर विविध अपराधों की विस्तृत जानकारी, प्रसार माध्यमों में प्रसारित किए गए विविध समाचार आदि आवश्यक जानकारी प्रो. सुदेश घोडेराव ने विचक्राफ्ट अँड ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के निदेशक गैरी फॉक्सक्राफ्ट को पिछले चार वर्षों में दी हैं।

महाराष्ट्र अंनिस द्वारा किया गया सहकार्य, मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहा और उसी के परिणाम स्वरूप 12 जुलाई 2021 इस दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद के 47वें अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ यह प्रतिपादन गैरी फॉक्सक्रॉफ्टने किया है।

महाराष्ट्र अंनिस के तीन दशकों से अधिक अवधि में किए गए कार्य-विशेषता का अनुभव और लगभग डेढ़ दशक की अथक मेहनत के कारण महाराष्ट्र में जादूटोना विरोधी कानून और सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून पारित करने वाला महाराष्ट्र यह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र की तर्ज पर, संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद में भी प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। लेकिन भारत के सभी राज्यों में जादूटोना विरोधी और सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून की आवश्यकता होते हुए भी तथा देश स्तर पर बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी, केंद्रीय स्तर पर कानून पारित नहीं हो सकता, यह शोकजनक है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर के निर्माण किया गया यह आदर्श सामने रखते हुए भारत के संसद में भी ये दोनों कानून पारित कर के, ऐसे कानून पारित करने वाला विश्व में भारत ही एकमात्र देश होने का सम्मान प्राप्त करें, यह मांग महाराष्ट्र अंनिस की ओर से कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील और अंतरराष्ट्रीय समन्वय विभाग के कार्यवाह प्रो. डॉ. सुदेश घोडेराव ने की है।

भवदीय

प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव
आंतरराष्ट्रीय समन्वयक
संपर्क क्रं – ९४२२२५७६५४

अविनाश पाटील
राज्य कार्याध्यक्ष
संपर्क क्रं –९४२२७९०६१०

ईमेल – sudeshghoderao@gmail.com ईमेल – avinashpatilmans@gmail.com

महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती